राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– प. 14 (20) निपेंवि / शि.पा.प. / 2017 दिनांक :–

समस्त विभागाध्यक्ष

परिपत्र

राज्य सेवा से अधिवार्षिकी / स्वैच्छिक सेवानिवृति / सेवाकाल में मृत्यु उपरान्त कार्मिको को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति परिलाभों के भुगतान के लिए राज0 सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1996 में वर्णित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार पेंशन विभाग द्वारा अधिकृतियां जारी की जाती है। पेंशन विभाग के स्तर से जारी की जाने वाली अधिकृतियों के लिए राज0 सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1996 में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के क्रम में सामान्यतः निम्न अपेक्षाओं की पूर्ति कार्मिक के पैतृक विभाग / कार्यालयों के स्तर से अपेक्षित होती है :–

1. पेंशनर का नाम, पद, पेंशनर की जन्म तिथि एवं पेंशनर की प्रथम नियुक्ति तिथि।
2. पेंशनर की अधिवार्षिकी / स्वैच्छिक सेवानिवृति / मृत्यु तिथि।
3. पेंशन / उपादान आवेदन–पत्र।
4. पारिवारिक पेंशन आवेदन–पत्र (क) परिशिष्ट–II (ख) परिशिष्ट–III
   (प्रपत्र 14) (प्रपत्र–18)
5. सेवानिवृति आदेश (निर्धारित प्रारूप 6) की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि / मृत्यु–पत्र।
6. गणना का विवरण।
7. अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र।
   (क) अन्तरिम (ख) (अन्तिम)
8. अदेयता प्रमाण–पत्र
9. अन्तरिम पेंशन / अन्तरिम उपादान की स्वीकृति।
10. लेखाकर्मी का प्रमाण–पत्र।
11. नगर निगम / नगरपालिका के सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में सी.पी.एफ. नियोक्ता का अंशदान पेंशन फण्ड में जमा होने का प्रमाण–पत्र।
12. 18 वर्ष से कम आयु में की गई सेवा का वर्णन।
13. सेवा पुस्तिका।
14. सेवानिवृति के पश्चात् पेंशनर का पता।
15. डी सी आर जी के लिए नामांकन पत्र।
16. मृतक पेंशनर के पश्चात् अल्प वयस्क बच्चों के मामले में वैध संरक्षक होने का प्रमाण–पत्र।
17. वेतन बिल / भुगतान–पत्र के आधार पर सेवा के सत्यापन का प्रमाण–पत्र।
18. वर्णात्मक नामावली मय फोटो व नमूने के हस्ताक्षर।
19. अधिक आयु नियुक्ति / अधिवार्षिकी आयु के बाद सेवा।
20. निलम्बित / सेवा समाप्ति का मामला।
21. सी.पी.एफ. का सदस्य होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।
22. असाधारण अवकाश का विवरण।
23. राज्य के बाहर पेंशन का मामला (एल.पी.सी. पेंशन सैट दो प्रतियों में)
24. सेवा सत्यापन के अभाव में पेंशन नियम 1996 के नियम 81(1)(a)(vi) एवं (vii) के अनुसार घोषणा एवं प्रमाण–पत्र।
25. प्रतिनियुक्ति / विदेश सेवा की स्थिति में पेंशन अंशदान जमा का वितरण।

26. पुनः नियुक्ति के मामलें में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 152 के अन्तर्गत वेतन स्थरीकरण एवं अवधि, वसूली योग्य राशि यदि कोई हो।
27. विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने का प्रमाण-पत्र।
28. पत्नी/पति का नाम, जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र सहित)।
29. कम्युटेशन आवेदन-पत्र।
30. कोषाधिकारी का नाम जहां से भुगतान चाहा है, उपकोष........................कोष...................राज्य...............

राजस्थान सिविल सेवाऐं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 81 व 82 में वर्णितानुसार सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति से न्यूनतम छः माह पूर्व पेंशन दस्तावेजों को निर्धारित प्रपत्रो में ऊपर वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ नियम 83 के तहत् पेंशन विभाग को अग्रेषित किये जाने से, पेंशन नियमों की मंशानुरूप सेवानिवृति परिलाभो का भुगतान निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जा सकेगा। अतः आपके अधीन सभी विभागो/कार्यालयाध्यक्षो को उक्त परिपत्र से रखी गई अपेक्षाओ की पूर्ति के साथ, यथासमय कार्मिक का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय,

(अरूण कुमार गुप्ता)
निदेशक